न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 28/2017 – निगरानी

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र रतनलाल ताम्बी निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर

बनाम

1. ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा सरपंच ग्रा. पं. पण्डेर तहसील जहाजपुर
2. मदनलाल पुत्र नानालाल भाट निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर
3. मदनलाल पुत्र नन्दलाल भाट निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर
4. श्रीमती ममता पत्नी अर्पित भाट निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर
5. महावीर पुत्र गोपालदास वैष्णव निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर
6. रमेश पुत्र दुर्गालाल सोनी निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर
7. मुकेश पुत्र नन्दलाल कुम्हार निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर
8. श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी शम्भूलाल हरिजन निवासी पण्डेर
9. भूरा पुत्र रामलाल जाट निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर
10. रमेश पुत्र पन्नालाल लखारा निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर
11. दुर्गालाल पुत्र सांवल भाट निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर
12. कैलाश पुत्र गोपाल भाट निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व
निर्णय दिनांक 05.04.2017 पत्रावली सं. 36

उपस्थित –

1. श्री एस.एन.देराश्री अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री के.सी. काष्ट अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.06.2019

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पण्डेर में शाहपुरा जहाजपुर रोड पर अन्दर हल्के आबादी में स्थित आराजी सं. 2830 में थाने के पास स्थित भूमि में आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्ड विक्रय करने संबंधी कथित प्रस्ताव सं. 3 दिनांक 20.06.2016 के आधार पर ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा व्यावसायिक भूखण्ड सं. 1 से 12 को बिना अधि0 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना

किये मनमकसूद एवं नियम विरूद्व तरीके से निलाम करने हेतु पत्रावली संधारित कर दिनांक 20.01.2017 को नीलाम करने का आदेश पारित कर दिनांक 02,03, एवं 06 मार्च 2017 को गलत तौर पर नीलामी करना बता सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया गया। उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड जिसमें से विवादित 12 भूखण्ड नीलाम किये गये हैं की कुल नपती 200 फीट गुणा 225 फीट है को ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा दिनांक 11.03.1982 को नीलाम किया गया था जिसमें अन्तिम बोली 7121/–रू. की निगराकार की रही। नीलामी के पश्चात् पंचायत के चुनावों की घोषणा हो जाने से नीलामी से संबंधित अग्रिम कार्यवाही स्थगित रखी गयी तथा बाद में बिना निगराकार को सुनवाई का अवसर दिये उक्त बोली को रद्द कर दिया गया। जिसके विरूद्व निगराकार द्वारा प्रस्तुत अपील को दिनांक 29.09.1983 को निगराकार को गैर हाजिर मानकर खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्व निगराकार द्वारा निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जिसके प्रकरण सं. 1864 सन् 83 दर्ज हुए। इस निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा यह प्रकट किया गया कि "अब पंचायत इस निर्णय पर पहुंची हैं कि भूखण्ड को इकट्ठा नीलाम करने के स्थान पर यदि भूखण्ड के 80 गुणा 50 फीट के आठ प्लॉट बनाकर सार्वजनिक नीलामी से विक्रय करने की स्वीकृति सर्व सम्मति से दी जाती हैं।" इस आधार पर न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत पण्डेर व पंचायत समिति जहाजपुर के निर्णय को स्थिर रखते हुये दिनांक 12.06.1984 को निगराकार की निगरानी अस्वीकार की गयी। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि पर आठ प्लॉट के स्थान पर 12 से अधिक भूखण्ड बनाने व उन्हें सार्वजनिक नीलाम द्वारा विक्रय किये जाने का न तो पंचायत द्वारा कोई निर्णय किया गया और न ही इस संबंध में पंचायत अधिनियम व इसके अधीन बने नियमों की पालना की गयी। उक्त भूमि में व्यावसायिक एवं आवासीय भूखण्ड बनाने हेतु राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 142 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गयी हैं। उक्त नीलामी हेतु कोई भी निर्णय पंचायत के कोरम में अथवा बहुमत से नहीं लिया गया है। उक्त भूमि पर जो दुकानें नीलाम की गयी हैं वे भीम–देवली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हैं। जहां नियम 161 के अनुसार रोड के मध्य रेखा से 150 फीट की दूरी तक भूमि न तो विक्रय की जा सकती हैं और न ही किसी प्रकार का निर्माण ही कराया जा सकता हैं। विवादित भूखण्ड नक्शे के अनुसार रोड की मध्य रेखा से केवल 75 फीट की दूरी पर स्थित होना बताये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित दुकानों के भूखण्ड का जो नक्शा तैयार किया गया हैं उसमें भूखण्डों का कोई नाप ही दर्ज नहीं हैं। नक्शे को नियम 142 के अधीन किसी सक्षम अधिकारी से अनुमोदित भी नहीं कराया गया हैं। पत्रावली की आदेशिका विवादित भूखण्डों का स्थल निरीक्षण करने हेतु कमेटी का गठन दिनांक 27.11.2016 को किया गया। आदेशिका के अनुसार उक्त कमेटी को स्थल निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट 15 दिन में प्रस्तुत करनी थी किन्तु पत्रावली में संलग्न तथाकथित मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 20.11.2016 को ही तैयार कर ली गयी तथा उस पर कमेटी के हस्ताक्षर भी उसी दिवस करा लिये गये। स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात् नियम 147 के अनुसार पंचायत द्वारा विक्रय के संबंध में अन्तिम विनिश्चय हेतु कोई निर्णय लिया गया हो ऐसा भी पत्रावली पर कोई अभिलेख नहीं हैं और न ही नीलामी हेतु नियम हेतु कोई संकल्प नियम 150 के अधीन पंचायत द्वारा

पारित किया गया, न ही किसी प्रस्ताव या संकल्प पर पंचायत के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। नियम 151 के अधीन नीलामी कमेटी का गठन किये जाने का भी कोई उल्लेख पत्रावली पर नहीं हैं। अतः निवेदन हैं कि निगरानी स्वीकार की जाकर पत्रावली सं. 36 दिनांक 19.10.2016 में की गयी नीलाम की सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त किया जावे।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 03.07.2017 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत पण्डेर से पत्रावली तलब की गयी।

प्रस्तुत निगरानी में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 19 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि उक्त भूमि में व्यावसायिक एवं आवासीय भूखण्ड बनाने हेतु राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 142 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गयी हैं। उक्त नीलामी हेतु कोई भी निर्णय पंचायत के कोरम में अथवा बहुमत से नहीं लिया गया है। उक्त भूमि पर जो दुकानें नीलाम की गयी हैं वे भीम–देवली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हैं। जहां नियम 161 के अनुसार रोड के मध्य रेखा से 150 फीट की दूरी तक भूमि न तो विक्रय की जा सकती हैं और न ही किसी प्रकार का निर्माण ही कराया जा सकता हैं। विवादित भूखण्ड नक्शे के अनुसार रोड की मध्य रेखा से केवल 75 फीट की दूरी पर स्थित होना बताये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित दुकानों के भूखण्ड का जो नक्शा तैयार किया गया हैं उसमें भूखण्डों का कोई नाप ही दर्ज नहीं हैं। नक्शे को नियम 142 के अधीन किसी सक्षम अधिकारी से अनुमोदित भी नहीं कराया गया हैं। स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात् नियम 147 के अनुसार पंचायत द्वारा विक्रय के संबंध में अन्तिम विनिश्चय हेतु कोई निर्णय लिया गया हो ऐसा भी पत्रावली पर कोई अभिलेख नहीं हैं और न ही नीलामी हेतु नियम हेतु कोई संकल्प नियम 150 के अधीन पंचायत द्वारा पारित किया गया, न ही किसी प्रस्ताव या संकल्प पर पंचायत के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। नियम 151 के अधीन नीलामी कमेटी का गठन किये जाने का भी कोई उल्लेख पत्रावली पर नहीं हैं। निवेदन हैं कि निगरानी स्वीकार की जाकर पत्रावली सं. 36 दिनांक 19.10.2016 में की गयी नीलाम की सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त किया जावे।

गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रकरण मे भूखण्ड ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा नीलामी के जरिये विक्रय किये गये हैं जिसमें सभी भूखण्डों की राशि के संबंध में राजस्थान सरकार से विक्रय का अनुमोदन होना शेष हैं। ग्राम पंचायत पण्डेर को उक्त विक्रय पेटे लगभग 1.50 करोड़ की राशि प्राप्त होना शेष हैं, जिससे ग्राम पंचायत पण्डेर का विकास कार्य अवरूद्व हो रहा हैं। पत्रावलियां न्यायिक कार्यवाही हेतु यानि अनुमोदन हेतु राजस्थान सरकार को भिजवाया जाना आवश्यक हैं ताकि विक्रय की शेष राशि ग्राम पंचायत पण्डेर को प्राप्त हो सके एवं विकास कार्य हो सके। उक्त प्रकरण में निगराकार के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ में एक रिट पीटिशन नम्बर 498/1988 प्रस्तुत की गयी थी। जिसका निर्णय दिनांक 09.02.1999 को हुआ, जिसमें ग्राम पंचायत की याचिका स्वीकार की गयी थी तथा निगराकार के पक्ष में जारी पट्टे निरस्त कर दिये थे तथा

निर्देश दिये कि भूखण्ड खुली निलामी से विक्रय किये जाये। निगराकार द्वारा इस प्रकरण से संबंधित दो निगरानी पेश की है जो गलत हैं। उक्त भूखण्डों की नीलामी की अखबार में नोटिफिकेशन जारी हुआ हैं। उक्त भूखण्डों की नीलामी वर्ष 1983 में हो चुकी हैं तो अब आपत्ति उठाना न्याय संगत नहीं हैं। उक्त भूखण्डों की नीलामी 54000/—रू. से लेकर 10.00 लाख रू. तक हुयी हैं, जिससे उक्त नीलामी से प्राप्त राशि ग्राम पंचायत के विकास कार्य में काम आयेगी। उक्त नीलामी से ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की हानि नहीं हुयी हैं। पंचायत को राजस्व आमदनी हुयी है। नीलामी कन्फर्म राज्य सरकार स्तर से होनी हैं। निगराकार प्रकरण को अनावश्यक लम्बित कराना चाहता हैं। जिससे पंचायत का विकास कार्य अवरूद्ध हो रहा हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी खारिज की जावे। गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त पेश किये।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम पंचायत पण्डेर की प्रकरण सं. 36 दिनांक 05.04.2017 ग्राम पंचायत पण्डेर में प्रस्ताव सं. 03 से थाने के पास शाहपुरा जहाजपुर रोड पर व्यावसायिक 12 प्लॉट(दुकान) की नीलामी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आबादी भूमि का नक्शा हैं जिस पर सचिव व सरपंच के हस्ताक्षर हैं। आबादी भूमि के विक्रय संबंधी मौका निरीक्षण पत्र पर सदस्य एवं सचिव व सरपंच के हस्ताक्षर हैं। मौका निरीक्षण में 12 दुकानों की साईज 12.6 बाई 25 फीट दर्शायी जाकर मौके पर खाली प्लाट होना बताया हैं। पत्रावली में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस की प्रति संलग्न हैं तथा अखबार में सूचना विज्ञप्ति की प्रति संलग्न हैं। पत्रावली में नीलामी प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेजात संलग्न हैं। 12 दुकानों का नक्शा जिस पर सचिव, सरपंच व सहायक अभियन्ता पंचायत समिति जहाजपुर के हस्ताक्षर हैं। नीलामी बोली से विक्रय की सूची हैं। जिसमें 25 प्रतिशत राशि जमा का विवरण हैं, पत्रावली में संलग्न हैं। नीलामी की सूची भी संलग्न है। जिस पर सचिव, सरपंच एवं सहायक अभियन्ता के हस्ताक्षर हैं।

निगराकार ने अपनी निगरानी के समर्थन में उक्त 12 दुकानों की नीलामी विधि विरूद्व होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं । अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत पण्डेर सिद्व नहीं होने से खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत पण्डेर को प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा